GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No. 248
TO BE ANSWERED ON 18TH MARCH, 2021

Integrated education in the country

***248 SHRI HARNATH SINGH YADAV:**

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the details of the programmes, schemes and projects being run to provide integrated education across the country and particularly in rural areas of the country;

(b) the details of total budgetary allocation for the expansion of basic infrastructure of education in rural areas in 2020-2021 through Smart Board, Online Education App and improvement in quality of teachers in rural schools; and

(c) whether any guidelines have been issued by Government to the State Governments in this regard?

A N S W E R
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(*a*) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.248 RAISED BY SHRI HARNATH SINGH YADAV, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 18TH MARCH 2021 REGARDING INTEGRATED EDUCATION IN THE COUNTRY

(a) The Department of School Education and Literacy has launched the Samagra Shiksha - an Integrated Scheme for School Education as a Centrally Sponsored Scheme with effect from the year 2018-19 to enhance the Learning Outcomes at all levels of schooling. This programme subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE). Samagra Shiksha is an overarching programme for the 3school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. It envisages the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to senior secondary levels.

Financial assistance is provided to all States and UTs for implementation of various interventions under Samagra Shiksha, including opening of new schools and providing of infrastructural facilities, free text book, cost for running residential school hostel, provision for children with special needs, transport and escort facility, support at pre-primary level, training for in-service teachers and headmasters, ICT and other activities.

Preference in the interventions is given to Educationally Backward Blocks (EBBs), LWE affected districts, Special Focus Districts (SFDs), Border areas and the Aspirational Districts.

(b) During 2020-21, details of total budgetary allocation for smart class room, ICT and Teacher's education are as under:

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Intervention	2020-21*
1.	Smart Classroom	224.49
2.	ICT	763.04
3.	Teachers Education	267.91

(Source *PRABANDH)

(c) The Department of School Education had forwarded a framework for implementation of the Samagra Shiksha Scheme to all State Governments and UT Admin which acts as a guiding document for implementation of the Scheme.

*****

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं.248
उत्तर देने की तारीख:18.03.2021

देश में एकीकृत शिक्षा

***248. श्री हरनाथ सिंह यादव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में तथा विशेष रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में एकीकृत शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) स्मार्ट बोर्ड, ऑन-लाइन शिक्षा ऐप के माध्यम से और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करके वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की आधारभूत अवसंरचना का विस्तार करने के लिए कुल आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है ; और
(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(—) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

****

'देश में एकीकृत शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा दिनांक 18.03.2021 के लिए पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम-परिणामों को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018-19 से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में समग्र शिक्षा के नाम से स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम को तीन पूर्ववर्ती केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं- सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा(टीई) को मिलाकर बनाया गया है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक का एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें 'स्कूल' की परिकल्पना पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों तक शिक्षा की निरंतरता के रूप में की गई है।

समग्र शिक्षा के तहत नए स्कूल खोलने एवं अवसंरचना सुविधाओं, निशुल्क पाठ्य-पुस्तकों आदि की व्यवस्था, आवासीय स्कूलों के छात्रावासों के संचालन की लागत के निर्वहन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रावधान, परिवहन एवं एस्कॉर्ट सुविधाओं की व्यवस्था करने, पूर्व-प्राथमिक स्तर पर सहायता करने, सेवारत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देने, आईसीटी की स्थापना करने तथा अन्य कार्यकलापों सहित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इन कार्यकलापों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेष रूप से ज़ोर दिए गए जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) : वर्ष 2020-21 के दौरान,स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी एवं शिक्षक-शिक्षा के लिए कुल बजटीय आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

करोड़ रु. में

क्र. सं.	क्रियाकलाप	2020-21
1	स्मार्ट कक्षाएं	224.49
2	आईसीटी	763.04
3	शिक्षक-शिक्षा	267.91

स्रोत: *प्रबंध

(ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा भेजी है जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।

****

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, सरकार ने विगत 6 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में अति पिछड़े व गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए 'एकीकृत शिक्षा योजना' के माध्यम से शिक्षा और शिक्षण के लिए बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए हैं।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एकीकृत शिक्षा की कल्पना और मानदंडों को पूर्ण करने के लिए बुनियादी ढाँचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : श्रीमन्, यह जो 'समग्र शिक्षा अभियान' है, यह स्कूली शिक्षा की सुदृढ़ता की दिशा में सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों के साथ मिल कर हम यह काम करते हैं। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि इस समग्र शिक्षा के तहत अवस्थापनाओं के विकास की दिशा में हम क्या करते हैं, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों को पैसा आवंटित करते हैं, चाहे वह teachers के प्रशिक्षण के लिए हो, चाहे programme management के लिए हो, चाहे शिक्षकों के वेतन के लिए हो, चाहे बारहवीं तक के गरीब बच्चे, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए हो, व्यावसायिक शिक्षा के लिए देते हैं, free किताबों के लिए देते हैं, uniform के लिए देते हैं, आवासीय स्कूलों के होस्टल्स के लिए देते हैं, वार्षिक अनुदान देते हैं, परिवहन के लिए देते हैं, quality को और बढ़ाने के लिए देते हैं और 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' सहित तमाम अभियानों के लिए देते हैं। मैं इसका detail नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय लगेगा, लेकिन श्रीमन्, हम इन अवस्थापनाओं के लिए नए स्कूल के निर्माण से लेकर, स्कूलों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कक्षों तक और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से लगातार काम करते हैं।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की दिशा में क्या काम किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारा जो 'NISHTHA' कार्यक्रम है, वह शिक्षकों के प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उस 'NISHTHA' के माध्यम से हम शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष हमने 17 लाख से भी अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण किया। 'NISHTHA' के तहत इस लॉकडाउन के समय भी 23 लाख से भी अधिक शिक्षकों ने उसमें पंजीकरण किया और 18 module के हिसाब से हम उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारा यह अभियान लगातार जारी है।

श्री हरनाथ सिंह यादव : मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता हेतु आधारभूत अवसंरचनाओं को मज़बूत करने के लिए, एकीकृत योजना के अंतर्गत आच्छादित

विद्यालयों की संख्या कितनी है? इन विद्यालयों में, शिक्षकों व छात्रों के आनुपातिक मानक के अनुसार, प्रशिक्षित शिक्षण की उपलब्धता व रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है?
श्री उपसभापति : धन्यवाद, आपने दो सवाल पूछे हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : श्रीमन्, आपने स्कूलों की संख्या के बारे में पूछा है, तो उनकी कुल संख्या 11,83,000 है। यदि सरकारी और प्राइवेट, दोनों स्कूलों को जोड़ दिया जाए, तो इनकी कुल संख्या 15,50,000 है। इन स्कूलों में समग्र शिक्षा की दिशा में अभी जो योजनाएं हैं, उनको आच्छादित किया गया है।

जहां तक आपने शिक्षकों और छात्रों के अनुपात के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है, मैं आपको वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि रही है और आपने उनके उत्थान की दिशा में प्रश्न पूछा है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में 26 छात्रों पर एक अध्यापक है, उच्च प्राथमिक शिक्षा में 22 छात्रों पर एक अध्यापक है, माध्यमिक शिक्षा में 21 छात्रों पर एक अध्यापक है और उच्च माध्यमिक शिक्षा में 24 छात्रों पर एक अध्यापक है। यदि राष्ट्रीय मानदंड देखें, तो प्राथमिक शिक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहां 26 छात्रों पर एक अध्यापक है। इस तरह कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी है। हम इस काम को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अध्यापकों की नियुक्ति का सिलसिला लगातार चल रहा है।

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Sir, in March, 2020, it was pointed out that 74,435 specially-abled students were enrolled in the universities across the country and they are not being able to attend online classes due to absence of tools and equipments. So, what action has the Government taken in this regard? This is one question. The second is: According to Annual State of Education Report, that is, ASER conducted in September, 2020, about 20 per cent of rural children have no textbooks.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already put one question.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: So, what action has the Government taken in this regard?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : आपने प्रश्न किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 प्रतिशत बच्चों के पास textbooks नहीं है, साथ ही दिव्यांग बच्चों के बारे में भी आपने प्रश्न किया है। श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस लॉकडाउन के समय में भी हमने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध नहीं होने दिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है, अभी माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 33 करोड़ है। अमरीका की कुल आबादी जितनी नहीं होगी, उससे अधिक संख्या यहां छात्र-छात्राओं की है।

श्रीमन्, हमने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया है। इस कोरोना काल का शायद सबसे बड़ा अभियान - ऑनलाइन शिक्षा ही होगा, क्योंकि हमने बच्चों का एक भी वर्ष खराब नहीं होने दिया है। हमने समय पर उनकी परीक्षाएं करवाईं और समय पर उनको रिज़ल्ट दिया। दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए भी हमने पढ़ाई की स्पेशल व्यवस्था की है। 'स्वयं' है, 'स्वयं प्रभा' है, 'ई-पाठशाला' है, NDL है, 'दीक्षा' है, इन सबके माध्यम से जो कुछ भी सम्भव हुआ, हमने तमाम सुविधाओं को हाथ में लेकर इस अभियान को जारी रखा है। श्रीमन्, यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था।

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभारी हूं, क्योंकि निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में शिक्षा के ऊपर बहुत बेहतर काम हो रहा है। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो बहुत सराहनीय है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी प्राप्त करना चाहती हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने टीचर्स के प्रशिक्षण के बारे में बात कही, मुझे सभी प्रदेशों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अभी कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में जो D.L.Ed. की परीक्षा होती थी, वर्ष 2020-21 में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों का जो प्रशिक्षण था, उस वर्ष को शून्य वर्ष घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से टीचर्स पर, चूंकि वे प्राइमरी टीचर्स हैं...

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्रीमती सीमा द्विवेदी : सर, यही मेरा सवाल है कि वर्ष 2020-21 में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों के प्रशिक्षण को शून्य वर्ष घोषित कर दिया गया है, तो क्या आप उनको इस वर्ष में जोड़ कर लेंगे अथवा नहीं लेंगे?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': माननीय सदस्या, सीमा जी जो बात कर रही हैं, उस समय सबके लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, उसमें एक व्यवस्था यह थी कि सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित होना होगा और उस परीक्षा में आना होगा, तब एनआईओएस के माध्यम से डीएलएफ तैयार किया था और 2015-16 तक सबको प्रशिक्षण ले लेना चाहिए था, यदि नहीं लिया तो उसे दो साल और बढ़ाया गया, दो साल बढ़ाने के बाद फिर एक साल और बढ़ाया गया। अब उसका समय खत्म हो गया, इसलिए उसे ज़ीरो नहीं किया गया, वह अभियान वहीं तक था, जब उस अभियान में सबको समय दिया गया कि जो अध्यापक काम कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण लें। ...**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति: नहीं, प्लीज़ बैठिये।

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष एक विसंगति लाना चाहता हूं। जब नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के लिए अध्यापकों की नियुक्ति होती है, तो उसमें पोलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स को इनकॉरपोरेट नहीं किया है, यह एक बहुत बड़ी विसंगति है, कृपया इसे दूर करने की कृपा की जाए।

श्री उपसभापति: यह एक सुझाव है। प्रश्न संख्या – 249